नगर निगम रोहतक की दिनांक 08.10.2015 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिपोंट

दिनांक 08.10..2015 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, उपायुक्त कार्यालय, रोहतक में श्रीमती रेनू डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई।

बैठक मे निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुएः-

1. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0-5, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की कार्रवाई आरम्भ करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

दिनांक 30.07.2015 की बैठक मे लिए गये निर्णयों पर नगर निगम रोहतक द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट सभी पार्षदगण को पत्र क्रमांक एम0सी0आर0/स्पेश्ल-2 दिनांक 03.10.2015 के द्वारा भेज दी गई थी, जिस पर नगर निगम को किसी भी पार्षदगण से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई तथा न ही सदन में किसी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करवाई गई। अतः सदन द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा दिनांक 30.7.2015 की बैठक की दिये गए निर्देशानुसार निम्नलिखित मुद्दें पर विचार विमर्श हुआ:-

1. घनीपुरा क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित करने बारे- सदन की बैठक में घनीपुरा क्षेत्र का किये गए सर्वे के क्षेत्र का नक्शा प्रस्तुत किया गया। जिसमें घनीपुरा के पुराने क्षेत्र में, जोकि नक्शें में लाल रंग से प्रदर्शित किया हुआ था, कुल 151 वाणिज्यिक -कम- औद्योगिक यूनिट लगे हुए है, जोकि बहुत पुराने है जिन्हें वहां से हटाया जाना सम्भव नही है। वार्ड न0. 12 के पार्षद द्वारा अनुरोध किया गया कि इस ब्लोक को वाणिज्यिक घोषित किया जाए। सदन द्वारा सर्वसम्मति से इसे वाणिज्यिक घोषित करने का अनुरोध पारित किया गया तथा मेयर द्वारा निर्देश दिये गए कि इसे तुरन्त वाणिज्यिक घोषित किया जाए।

(कार्रवाई भवन निरीक्षक द्वारा की जानी है।)

इसके पश्चात् बैठक में दिनांक 08.10.2015 को नगर निगम की सामान्य बैठक के लिए जारी किये गये एजेन्डे पर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

क्रम सं0	एजेन्डा	निर्णय
1.	पिछली बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार नगर निगम रोहतक द्वारा सभी 53 अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण करवा लिया है तथा दिनांक 01.10.2015 को इन कालोनियों को नियमित करने के सन्दर्भ में उपायुक्त, रोहतक की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों की बैठक भी आयोजित की गई। सदन की स्वीकृति हेतू प्रस्ताव प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सभी 53 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए तुरन्त केस सरकार को भेजने के निर्दश दिए। **(कार्यवाही-भवन निरीक्षक द्वारा)**

2.	नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यालय निर्माण के लिए पुराने जुडिशियल कॉम्पलैक्स की जगह दिनांक 30.07.2015 को बैठक में पारित प्रस्ताव अनुसार लेना चाहता है। इसके लिए उपायुक्त, रोहतक द्वारा भी प्रस्तावना राजस्व विभाग को भेज दी है। सरकार द्वारा निर्धारित राशि पर जगह लेने का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-भू-अधिकारी द्वारा)
3.	नगर निगम रोहतक अपनी आय बढाने के लिए नगर निगम की खाली पडी जगहों वेयर हाऊस बनाकर या यदि कोई कम्पनी बनाना चाहे तो कम्पनी से बनवाकर उन्हे किराये पर देना चाहता है। इसके लिए बोहर, गढी बोहर, पहरावर, बलियाना में खाली पडी जगहो पर वेयर हाऊस किराये पर धारा 164 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देने के लिए सदन में विचारार्थ।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-भू-अधिकारी व सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
4.	गांव सुनारियां में कई जोहड है जिनकी रिटेनिंग वाल का एक करोड छियासी लाख का प्राकंलन है। सदन की स्वीकृति हेतू।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही- सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
5.	गांव खेडी साध में नगर निगम के जोहड व खाली पडी जगह की निशानदेही करवाकर जोहड की रिटेनिंग वाल व खाली जगह को CNG/Petrot/ Disel pump व अन्य कार्यो के लिए लीज पर देने के लिए विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-भू-अधिकारी व सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
6.	सोनीपत स्टैंड पर स्थित नगर निगम भवन को सामुदायिक केन्द्र/फ्लैट बनाने के लिए सदन में विचारार्थ।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-भू-अधिकारी व सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
7.	गौंकर्ण तालाब के पास नगर निगम द्वारा नया सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया गया, जिसे हरियाणा दलित एवं पिछडा वर्ग कल्याण एसोसिएशन, (रजिस्ट्रड) रोहतक द्वारा	सामुदायिक केन्द्र का नाम अम्बेडकर भवन रखने की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा संस्था को रख-रखाव देने के लिए सदन द्वारा इंकार किया गया।

	अम्बेडकर भवन का नाम देने व रखरखाव के लिए उन्हे स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है। सदन में विचारार्थ।	(कार्यवाही-भू-अधिकारी द्वारा)
8.	नगर निगम क्षेत्र में स्थित सामुदायिक केन्द्रों का संचालन पर विचार करने बारे।	इस पर निर्णय लिया गया कि बड़े व छोटे सामुदायिक केन्द्रो के अनुसार उन्हे किस आधार पर चलाया जाना है तथा उन्के रख-रखाव के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है व उसके लिए क्या निर्धारित शुल्क किये जाए ? - इसके लिए सामुदायिक केन्दों के लिए गठित सबकमेटी द्वारा पुनः भू-अधिकारी, नगर निगम के साथ बैठक कर सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाना है। (कार्यवाही-भू-अधिकारी द्वारा)
9.	दिल्ली रोड पर तिलियार काम्पलैक्स के पास नहर व काम्पलैक्स के बीच 30 एकड़ जगह सरकार द्वारा निर्धारित रेट व शर्तों पर नगर निगम को वाणिज्यिक काम्पलैक्स के लिए स्थानान्तरित करने पर विचार हेतु।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केस सरकार को भेजने की सहमति दी गई। (कार्यवाही-भू-अधिकारी द्वारा)
10.	दिल्ली बाई पास व झज्जर बाई पास के बीच केन्द्रीय विद्यालय से आगे औमेक्स के पुल तक की जगह को दिल्ली हाट की तरह बाजार विकसित करने के लिए नगर निगम को स्थानान्तरित करने के लिए सरकार से अनुरोध करने पर विचारार्थ।	सदन में इस प्रस्ताव का विरोध किया गया तथा सदन द्वारा इस पर अपनी असहमति दी।
11.	नगर निगम रोहतक शहर की चार प्रमुख सड़कों की 24X7 सफाई के लिए निविदा आमन्त्रण कर रहा है। यह निविदा 2 वर्ष के लिए होगी। इसकी सफलता देखने उपरान्त शहर की शेष सड़कों की निविदा आमन्त्रित की जाएगी। 1. ड्रेन न0.8 भिवानी रोड़ से बाबा मस्तनाथ मन्दिर वाया शान्तमई चौक, डी पार्क। 2. शान्तमई चौक से सुखपुरा चौक सदर थाना	सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-सफाई निरीक्षक द्वारा)

	वाया गोहाना अड्डा। 3. सुखपुरा चौक से शीला बाईपास वाया नया बस स्टैंड। 4. शीला बाईपास से राजीव चौक।	
12.	नगर निगम रोहतक की जो पुरानी साइट पैट्रोलपम्प के लिए लीज पर दी गई थी, उनकी लीज समाप्ति उपरान्त उनकी 5-5 वर्षो के लिए लीज Renew की जा रही है। अतः इनकी लीज रद्द करके इन साइट को बेचने के लिए सदन के विचारार्थ।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया कि सभी पैट्रोलपम्पों की साइट की लीज रद्द की जाए तथा निगम उन पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही-भू-अधिकारी द्वारा)
13.	नगर निगम रोहतक में स्ट्रीट लाइट का बिल काफी अधिक आ रहा है। इसे सुचारू व नियमित करने के लिए नगर निगम Efficient Use of Energy के नए संसाधान प्रयोग कर बिजली का बिल कम करना चाहता है। इसकी विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ-साथ सदन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड में जो भी स्ट्रीट लाइट लगाई जाए उसकी सूचना सम्बन्धित पार्षद को आवश्यक दी जाए। इसके अतिरिक्त वार्ड न0.11, 12 व 15 के पार्षद द्वारा सदन को सूचित किया गया कि स्ट्रीट लाइट केवल खम्बों पर लगाई जाती है लेकिन कई गलियां इतनी तंग है वहां पर बिजली के खम्बे नही लगे हुए। जिसकी वजह से उन गलियों में अंधेरा रहता है। कार्यकारी अभियन्ता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सूचित किया गया है कि मकानों उपर जो स्ट्रीट लाइट लगती है उनमें से कुछ में बिजली की चोरी की जाती है। सदन द्वारा निर्देश दिये गए कि कार्यकारी अभियन्ता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व नगर निगम के नगर अभियन्ता-III इसका समाधान करना सुनिश्चित करेंगें। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
14.	नगर निगम अपने स्त्रोत को बढ़ाने के लिए व अपने कार्यालय निर्माण के लिए Architect को Empanell करना	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

	चाहती है। इसकी निविदा आमन्त्रण स्वीकृति हेतु।	(कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
15.	नगर निगम रोहतक शहर के मुख्य पार्को में Outdoor Zim स्थापित कर आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना चाहता है, इसके लिए प्रयोगिक तौर पर मानसरोवर पार्क, डबल पार्क व Revenue Colony पार्क में Outdoor Zim लगा रहा है। इसकी सफलता को देखने उपरान्त शेष बड़े पार्को में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। सदन के विचारार्थ।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए अम्बेडकर पार्क, झज्जर चुंगी वार्ड न0. 19 में भी आउटडोर जिम लगाने के निर्देश दिये गए। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
16.	**नगर निगम के सभी वार्डों में 2000 स्ट्रीट लाईटों की व्यवस्था करवाने बारे।** नगर निगम की पूर्व में हुई बैठक में 3000 स्ट्रीट लाईट मंगवाने का प्रस्ताव पारित हुआ था जिनमें से केवल 1000 स्ट्रीट लाईट ही मंगवाई गई थी अग्रिम 2000 स्ट्रीट लाईटे मंगवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाये।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
17.	**नगर निगम के सभी वार्डों में आतंकी बंदरों को पकडवाने बारे।** नगर निगम क्षेत्र में बंदरो की संख्या काफी बढ गई है। इस बारे आमजन से काफी शिकायते प्राप्त हो रही है। अतः वार्ड वाईज बंदरों को पकडने हेतू अभियान चलाकर बंदरों को पकडवाया जाये।	स्थाई व्यवस्था न होने के कारण यह प्रस्ताव रद्द किया गया।
18.	दहलीज पाना सुनारियां कलां वार्ड नं0 20 में शमशान घाट की चारदीवारी करवाई जाये।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
19.	अमृत कालोनी वार्ड नं0 20 में बिजली के खंभे लगवाये जाये।	यह उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम से सम्बन्धित है।
20.	अजीत कालोनी वार्ड नं0 20 में कच्ची पडी गलियां बनवाई जाये।	धनराशि उपलब्ध होते ही प्राथमिकता के आधार पर प्रांकलन तैयार करवाकर कार्य करवाया जायेगा।

		(कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
21.	सुनारियां खुर्द की फिरनी को पक्का करवाया जाये।	श्री बलराज सिंगला, नगर अभियन्ता द्वारा सदन को सूचित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर फिरनी का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाऐगा। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
22.	**वार्ड नं0 11 न्यू चिन्योट कालोनी में पी0जी0आई0 की खाली पडी जमीन को निगम के नाम करने के लिए पत्राचार करने बारे।** वार्ड नं0 11 न्यू चिन्योट कालोनी में पी0जी0आई0 की जमीन खाली पडी है जिसमें आमजन ने गंदगी का ढेर लगाया हुआ है जिसकी वजह से मक्खी मच्छर व बिमारिया फैलने का डर बना रहता है। इस भूमि को पी0जी0आई0 से पत्राचार करके उसे नगर निगम के अधीन लेकर उस पर एक पार्क विकसित किया जाये।	पीजीआई रोहतक से पत्राचार नगर निगम द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही कार्य प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
23.	वार्ड नं0 11 के अर्न्तगत आने वाले पार्को में डस्टबिन की व्यवस्था करने बारे।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
24.	पुराने आई0टी0आई0 से शिरडी सांई मन्दिर (अद्वेत आश्रम) की ओर जाने वाली सडक का नाम अद्वैत आश्रम मार्ग रखा जाये।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
25.	वार्ड 11 में आने वाली कई कालोनियो मे सडके पक्की करने का कार्य किया जाना है परन्तु इससे पहले सीवर व पानी की लाईन डाली जानी है। इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग से पत्राचार किया जाये।	कार्यवाही जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जानी है।
26.	नगर सुधार मंडल के पास बहुमंजिला इमारते बनी हुई है इनके भवन प्लान की स्वीकृती की प्रति उपलब्ध करवाई जाये।	सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर सुधार मण्डल (सैल) के क्षेत्र में बनने वाले सभी अवैध निर्माणों पर श्री अशोक राठी, नगर सुधार मण्डल अभियन्ता नगर निगम अधिनियम 1994 के अनुसार कार्यवाही करना व सभी भवनों के भवन प्लान व शुल्क जमा करवाना

		सुनिश्चित करेंगें तथा आगामी बैठक में सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगें। (कार्यवाही-नगर सुधार मण्डल अभियन्ता द्वारा)
27.	भिवानी चुंगी से लेकर डिस्पोजल नाले तक सीवर की लाईन खराब पडी है। पुनः पाईप डलवाने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग को लिखा जाये।	कार्यवाही जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जानी है।
28.	हिसार बाईपास पुल के नीचे सीवरेज की बडी-2 पाईप पडी है उन्हे शीघ्र अति शीघ्र उठवाया जाये।	कार्यवाही जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जानी है।
29.	वार्ड नं0 3 में बाबा बालक नाथ मन्दिर से रैनकपुरा तक सीवर व सडक का निर्माण करवाया जाये।	कार्यवाही जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जानी है।
30.	वार्ड नं0 3 में डा0 सतीश के मकान से लेकर गांव रैनकपुरा तक पीर कालोनी से होती हुई गली में सीवर लाईन डलवाई जाये।	कार्यवाही जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जानी है।
31.	गॉव बोहर में स्टेडियम बनवाये जाये।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्रवाई-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
32.	नगर निगम रोहतक क्षेत्र में वर्ष 2013 में 34 कालोनियां नियमित की गई थी। इन कालोनियों में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली के कनैक्शन नहीं दिये जा रहे तथा वहां पर खम्बें आदि लगाने के लिए नगर निगम को राशि जमा करवाने के लिए कहते है। जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।	कार्यकारी अभियन्ता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके कार्यालय द्वारा सर्कुलर न0. U-29/2014 जारी किया हुआ है जिसमें निर्देश दिये हुए है कि इन कालोनियों में बिजली की सप्लाई आदि का समस्त खर्चा नगर निगम द्वारा दिया जाए। मेयर, नगर निगम द्वारा सदन में बताया गया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली प्रयोग के चार्ज लिये जाते है तथा नगर निगम के पास इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है कि वह बिजली विभाग को खम्बों आदि के लिए धनराशि उपलब्ध करवा सकें। यह बिजली विभाग का कार्य है तथा उन द्वारा किया जाना चाहिए। सदन में निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में सरकार को सूचित किया जाए तथा सम्बन्धित विभाग को तुरन्त कार्यवाही के लिए निर्देश जारी करवाए जाए।

		(कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
33.	खोखरा कोट क्षेत्र में बिजली के मीटर व खम्बे न लगाने बारे।	मेयर, नगर निगम द्वारा सदन को सूचित किया गया कि खोखरा कोट क्षेत्र में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा न तो मीटर लगाए जा रहे है तथा ना ही खम्बे आदि लगाए जा रहे है। जिसकी वजह से वहां पर बिजली चोरी होने के कारण विभाग को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए सरकार को इस क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग को बिजली के खम्बे व मीटर लगाने के लिए पत्र लिखने का सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
34.	सनसिटी सोनीपत रोड पर नगर निगम की जगह चिन्हित करवाने बारे।	भू-अधिकारी, नगर निगम द्वार सदन को सूचित किया गया कि सनसिटी सोनीपत रोड पर नगर निगम रोहतक द्वारा शामलात जगह जोकि लगभग 19 एकड के करीब है, उसे अपने नाम इन्तकाल करवा दिया गया तथा उसकी निशानदेही की कार्यवाही की जा रही है। निशानदेही करवाने उपरान्त इस जमीन पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। (कार्यवाही-भू-अधिकारी द्वारा)
35.	नगर निगम क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के जोहडों की पानी निकासी न होने बारे।	वार्ड न0. 20 के पार्षद द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके क्षेत्र में स्थित जोहडों से पानी जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा नही निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से गलियों मे पानी भर गया है। आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा उपस्थित उपमण्डल अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को इस संदर्भ में तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। सदन द्वारा यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी जोहडों जिनमें वर्षा का पानी व नालों का पानी एकत्रित हो चुका है, उन्हें खाली करवाए तथा गांव सुनारियां के जोहडों को प्राथमिकता के आधार पर खाली करवाया जाए। इसकी

		सम्पूर्ण रिर्पोट कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग व्यक्गित स्तर पर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। (कार्यवाही-कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा)
36.	वर्ष 2013 में नियमित की गई कालोनियों में सीवर व पानी की व्यवस्था करवाने बारे।	वार्ड न0. 5,6,7 व 20 के पार्षदगण द्वारा सदन को सूचित किया गया कि वर्ष 2013 में जो 34 कालोनियां नियमित की गई थी, उनमें से कई कालोनियों में अभी तक सीवर व पानी की लाईन नही डाली गई। जिसकी वजह से नगर निगम वहां पर गलियां नहीं बना पा रहा है। श्री टी.आर. पंवार, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके विभाग द्वारा प्रांकलन बनाकर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे हुए है। स्वीकृति व धनराशि मिलने उपरान्त कार्य करवाए जा सकेंगे। सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में संयुक्त आयुक्त, नगर निगम रोहतक तुरन्त सरकार को सूचित करेंगे तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को पत्र भी लिखेंगे। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
37.	नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे कार्यो के निरीक्षण व अदायगी बारे।	वार्ड न0. 15, 14, 10, 9 व 11 के पार्षदगण द्वारा सदन को सूचित किया कि नगर निगम क्षेत्र में सभी वार्डो में करवाए जा रहे कार्यो का निरीक्षण व अदायगी उनके माध्यम से करवाई जाए। आयुक्त, नगर निगम रोहतक ने सदन को सूचित किया कि सरकार के निर्देशानुसार सभी वार्डो में वार्ड कमेटियां बनाई जानी है। अतः आप सभी अपने-अपने वार्ड में वार्ड कमेटी गठित कर कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम रोहतक को दें, ताकि हरियाणा सिटीजन पार्टीसिपेशन एक्ट 2008 के अनुसार कार्यो का निष्पादन किया जा सके। सभी कार्यो की अदायगी से पूर्व सभी नगर अभियन्ता सम्बन्धित पार्षदगण/वार्ड कमेटी से निरीक्षण करवायेंगे तथा उनसे प्रमाण पत्र लेकर अदायगी के लिए

		दस्तावे प्रस्तुत करेंगे। (कार्यवाही- वरिष्ठ लेखाधिकारी व सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
38.	कसाई चौक का सौन्दर्यकरण करने व स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति लगाने बारे।	सदन में नगर अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया कि कसाई चौक का सौन्दर्यकरण किया जा सकता है। लेकिन मूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं लगाई जा सकती। अतः सदन ने कसाई चौक के सौन्दर्यकरण करने के निर्देश दिये। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता द्वारा)
39.	सफाई कार्य हेतु 5 टाटा एस लेने बारे।	सफाई निरीक्षक द्वारा सदन में सूचित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर से कुड़ा एकत्रित किया जाना है। जिसके लिए पहले 5 टाटा एस ली गई थी तथा 5 वार्डो में घर-घर से कुडा एकत्रित करने की प्रक्रिया की हुई है। शेष क्षेत्रों में घर-घर से कुडा एकत्रित करने के लिए 5 टाटा एस और ली जानी है। जिसके लिए सीधे कम्पनी को कार्य आदेश दिये जाने के लिए सदन में प्रस्तुत है। सदन द्वारा 5 टाटा एस तुरन्त लेने के प्रस्ताव को पारित किया। (कार्यकारी-सफाई निरीक्षक द्वारा)
40.	सैनिक कालोनी, बडा बाजार व किला मौहल्ले में लगभग डेढ वर्ष से लम्वित पडे विकास कार्यो पर निर्णय लेने बारे।	वार्ड न0. 14 व वार्ड न0. 16 के पार्षद द्वारा सदन को सूचित किया कि सैनिक कालोनी, किला मौहल्ला व बडा बाजार में कार्य आदेशा जारी होने के उपरान्त भी कार्य अभी तक पूर्ण नही हुए है। सैनिक कालोनी में निम्न स्तर का कार्य करवाया गया है तथा सडक टुट चुकी है। सदन ने इसे गम्भीरता से लिया तथा इन कार्यो के कार्य आदेश तुरन्त निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित की जाए तथा जो अदायगी निम्न स्तर के कार्य की, की गई है उसके लिए आयुक्त, नगर निगम द्वारा एक जांच कमेटी गठित कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (कार्यवाही-सम्बन्धित नगर अभियन्ता व निजि सहायक आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा)

41.	नगर निगम क्षेत्र में सीवर साफ करने उपरान्त निकले मलबे को उठाने बारे।	वार्ड न0. 12 के पार्षद द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नगर निगम क्षेत्र में जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सीवर सफाई उपरान्त जो मलबा निकाला जाता है वह वही छोड दिया जाता है। जिसे बाद में नगर निगम द्वारा उठाया जा रहा है। जबकि यह मलबा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की उठाया जाना चाहिए। सदन ने इसे बडी गम्भीरता से लिया। उपायुक्त, रोहतक द्वारा सीवर सफाई के ठेके की जांच के निर्देश पारित किये व जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सीवर सफाई का सम्पूर्ण विवरण उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2015/6834-38

दिनांक 9/10/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2015/6839-45 दिनांक 9/10/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2015/6846-49 दिनांक 9/10/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग रोहतक।
3. अधीक्षक अभियंता उत्तरी हरियाणा विघुत प्रसारण निगम, रोहतक।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।